न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय कक्ष संख्या–१, प्रतापगढ।

सत्र परीक्षण संख्या–१६६/२०२१
राज्य बनाम अनीता देवी आदि
मु०अ०सं०–१६८/२०२०
धारा–३०२,२०१ भा०दं०सं०
थाना–नवाबगंज, जिला प्रतापगढ़।

<u>दिनांक–०८.११.२०२२</u>

आवेदक/वाहन स्वामी कमलेश कुमार यादव पुत्र गिरधारी, निवासी किशुनदासपुर, थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़ (जिला कारागार में) जरिये पत्नी अनीता देवी द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते अवमुक्त किये जाने मोटर साइकिल पंजीयन संख्या–यू०पी०–७२एल ६५६२ इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी को उपरोक्त मुकदमें में असत्य कथनों के आधार पर अभियुक्त बनाया गया है तथा प्रार्थी की मोटर साइकिल को बिना किसी साक्ष्य के विगत दो वर्षों से निरूद्ध रखा गया है। उक्त मोटर साइकिल को अवमुक्त किये जाने का प्रार्थना पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया गया था किन्तु उनके द्वारा बिना किसी आधार के मोटर साइकिल को माल मुकदमा बताकर आख्या प्रस्तुत की गयी है। मुकदमा उपरोक्त का परीक्षण श्रीमान जी के न्यायालय में चल रहा है तथा विवेचक सहित कुल चार साक्षीगण का बयान अंकित हो चुका है। विवेचक के द्वारा वाहन उपरोक्त के माल मुकदमाती होने अथवा अपराध में संलिप्त पाये जाने सम्बंधी कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है। प्रार्थी उपरोक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी है तथा स्वामित्व सम्बंधी सभी अभिलेख अद्यतन वैध हैं। उक्त वाहन थाना परिसर में प्राकृतिक झंझावातों से असुरिक्षित विगत दो वर्षो से पड़ा नष्ट हो रहा है, जिससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति हो रही है। वाहन अवमुक्त किये जाने की दशा में प्रार्थी न्यायालय द्वारा अधिरोपित सभी शर्तों का पालन करेगा। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अम्बा लाल देसाई मामले में दी गयी विधि व्यवस्था के अनुसार वाहन को नष्ट होने के लिए असीमित समय तक निरूद्ध नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी उपरोक्त मुकदमें में जनपद कारागार में निरूद्ध है, इसलिए पत्नी अनीता देवी के माध्यम से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है। प्रार्थना किया गया कि प्रश्नगत वाहन मोटर साइकिल पंजीयन संख्या–यू०पी०–७२एल ६५६२ प्रार्थी की पत्नी के जरिये प्रार्थी के पक्ष में अवमुक्त करने की कृपा की जाए। आवेदक की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र शपथ पत्र अनीता देवी से समर्थित है।

आवेदक की तरफ से उक्त वाहन मोटर साइकिल पंजीयन संख्या–यू०पी०–७२एल ६५६२ के सम्बंध में रजिस्ट्रीकृत प्रमाण पत्र दाखिल किया गया है, जिसमें वाहन के पंजीकृत स्वामी के रूप में आवेदक कमलेश कुमार यादव का नाम अंकित है। प्रार्थना पत्र के साथ अनीता देवी के आधार कार्ड की फोटो प्रति दाखिल की गयी है।

थाना नवाबगंज, जिला प्रतापगढ़ की रिपोर्ट दिनांकित–१८.१०.२०२२ के अनुसार थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु०अ०सं०–१६८/२०२०, धारा–३०२,२०१ भा०दं०सं० थाना–नवाबगंज, जिला प्रतापगढ़ से सम्बंधित घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल पंजीयन संख्या–यू०पी०–७२एल ६५६२, चेचिस नं०–MB625MF5571L890073 थाना हाजा पर दिनांक–३१.१०.२०२० को दाखिल है। मोटर साइकिल नं०–यू०पी०–७२एल ६५६२ घटना में प्रयुक्त वाहन है। वाहन के माल मुकदमाती होने के सम्बंध में थाने की आख्या के साथ सामान्य दैनिकी विवरण जी०डी० नं०–

०४४ दिनांकित–३१.१०.२०२० समय २३.३७ बजे की प्रति दाखिल की गयी है।

आवेदक कमलेश कुमार यादव की तरफ से जरिये पत्नी अनीता प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा दाखिल प्रपत्रों का अवलोकन किया।

आवेदक की ओर से प्रश्नगत मोटर साइकिल पंजीयन संख्या–यू०पी०–७२एल ६५६२, के सम्बंध में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की फोटो प्रति दाखिल की गयी है। रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के अवलोकन से विदित होता है कि उक्त मोटर साइकिल के पंजीकृत स्वामी के रूप में आवेदक कमलेश कुमार यादव का नाम दर्ज है। अतः प्रश्नगत मोटर साइकिल पंजीयन संख्या–यू०पी०–७२एल ६५६२ आवेदक कमलेश कुमार यादव के पक्ष में शर्तों के अधीन अवमुक्त किये जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

मु०अ०सं०–१६८/२०२०, सत्र परीक्षण संख्या–१६६/२०२१, राज्य बनाम अनीता देवी आदि, धारा–३०२,२०१ भा०दं०सं० थाना–नवाबगंज, जिला प्रतापगढ़ के मामले में आवेदक के कब्जे से बरामद मोटर साइकिल पंजीयन संख्या–यू०पी०–७२एल ६५६२ को उसके पंजीकृत स्वामी कमलेश कुमार यादव के पक्ष में उसके द्वारा मु० ५०,०००/–रूपये का व्यक्तिगत बंध पत्र एवं समान धनराशि की एक प्रतिभू दाखिल करने पर इस शर्त के साथ कि वह वाहन का न तो बिक्रय करेगा और न ही उसके रंग रूप व स्वरूप में कोई परिवर्तन करेगा तथा न्यायालय अथवा विवेचक द्वारा मंगाये जाने पर वाहन को अपने खर्चे पर न्यायालय अथवा विवेचक के समक्ष प्रस्तुत करेगा, अवमुक्त किया जाता है।

दिनांक–०८.११.२०२२

अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–१,प्रतापगढ़।